समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950[1]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (2) और अनुच्छेद 190 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :---

1. ये नियम समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 कहे जा सकेंगे ।

2. वह कालावधि जिसके अवसान पर उस व्यक्ति को जो संसद् के और भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कह कर निर्दिष्ट किया गया है) की प्रथम अनुसूची में [2]*** विनिर्दिष्ट किसी राज्य विधान-मण्डल के किसी सदन के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है, संसद् में स्थान उस दशा के सिवाय जिसमें उसने ऐसे राज्य के विधान-मण्डल में अपना स्थान पहले ही त्याग दिया है, इस घोषणा के कि वह ऐसे चुन लिया गया है भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख या राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में से जो भी तारीख पश्चात्वर्ती हो, उस तारीख से चौदह दिन की होगी :

[3]* * * * * *

3. वह कालावधि, जिसके अवसान पर उस व्यक्ति का स्थान, जो कि संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दो या अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों का सदस्य चुन लिया गया है सब ऐसे राज्यों के विधान-मण्डलों में उस दशा के सिवाय रिक्त हो जाएगा जिसमें कि उसने एक को छोड़कर सब विधान-मण्डलों में के अपने स्थान को पहले ही त्याग दिया है, इस घोषणा के कि वह ऐसे चुन लिया गया है ऐसे राज्यों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीखों में से पश्चात्वर्ती या, यथास्थिति, सबसे पश्चात्वर्ती तारीख से दस दिन की होगी ।

---

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 एफ0 46/50-सी, तारीख 26 जनवरी, 1950 ।

[2] अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 2178, तारीख 2 जुलाई, 1957 द्वारा "भाग क या भाग ख में" शब्दों का लोप किया गया।

[3] अधिसूचना सं0 का0नि0आ0 2178, तारीख 2 जुलाई, 1957 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।